

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(1)(6)चवे 92/अलेसे-III/1403

दिनांक :- 5/2/24

आदेश संख्या...98/2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6/2/एफ.डी/रुल्स/98 दिनांक 17.02.98 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 09 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम सं० 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का प्रथम चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (5500-175-9000) में स्वीकृत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम क० लेखाकार सर्वश्री	मेरिट नं०	कार्यग्रहण तिथि	चयनित वेतनमान स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1	स्व. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	299/1992	31.05.1995	31.05.2004	—

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प०1(20)वित्त/गुप-2/92 दिनांक 23.04.94 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)(डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर चयनित वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त चयनित वेतनमान इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर चयनित वेतनमान के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.98 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावें।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(1)(6)/अलेसे-III/1403

दिनांक :- 5/2/24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उप निदेशक ए.सी.पी. अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार।
5. निजी/गार्ड फाईल।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)